निर्णय व इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 01/2021 (6–ए, आव0 वस्तु अधि0 प्रार्थना पत्र)

राज्य सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना प्रागपुरा, जिला जयपुर ग्रामीण ।

प्रार्थी

बनाम

1. देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री ओम प्रकाश जाति राजपूत निवासी उजिना, थाना नूह, जिला नूह हरियाणा।
2. राहुल सिह पुत्र श्री भवानी सिंह जाति राजपूत निवासी पाथेडा, थाना कनीना, जिला महेन्द्रगढ, हरियाणाा

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्तशुदा 2500 लीटर डीजल व वाहन पिकअप मय टैंकर नं॰ एचआर 66 ए 6119 को राजसात करने बाबत।

उपस्थितः–

1. सहायक लोक अभियोजक प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री प्रकाश चन्द यादव अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 4.03.2021

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 05.12.2020 को मीरापुर फार्म चौराहे से सुजात नगर की तरफ जाने वाले रोड पर नाकाबन्दी के दौरान मीरापुर फार्म चौराहे से सुजातनगर की तरफ जाने वाले रोड पर एक वाहन आता हुआ दिखाई दिया जिसको रूकवाने पर दो शक्स उतर कर भागने लगे जिनको मन थानाधिकारी मय हमाराही जाब्ता के द्वारा घेरा डाल कर पकडा जाकर नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री ओम प्रकाश जाति राजपूत निवासी उजिना, थाना नूह, जिला नूह हरियाणा व दूसरे ने अपना नाम राहुल सिंह पुत्र श्री भवानी सिंह जाति राजपूत निवासी पाथेडा, थाना कनीना, जिला महेन्द्रगढ, हरियाणा का होना बताया रात्रि का वक्त होने से कोई स्वतंत्र गवाह नहीं जुट सका। जिस पर हमराह जाब्ता में से कानि रविन्द्र सिह नं॰ 28 कानि॰ नरेश नं॰ 709 को मौतबीर मामूल कर वाहन टाटा 407 मिनी टेंकर नं0॰ एचआर 66 ए 6119 को खोल कर चैक किया गया तो करीबन 2500 लीटर डीजल भरा हुआ पाया गया । सक्शान देवेन्द्र सिंह व राहुल सिंह से भी टैंकर में भरे पदार्थ के बारे में पूछा तो उन्होंने भी उक्त टैंकर में 2500 लीटर डीजल होना बताया। अप्रार्थीगण से भारी मात्रा में डीजल अपने कब्जे में रख कर परिवहन करने बाबत वैद्य लाईसेन्स के बारे में पूछा तो अपने पास कोई वैद्य लाईसेन्स होना नहीं बताया। जिस पर अप्रार्थीगण देवेन्द्र सिंह व राहुल सिंह का उक्त कृत्य धारा 3 (2) (d) /7 (1) (a) (II) E C Act का वकू में आना पाया जाने पर उक्त मिनी टैंकर में से एक प्लास्टिक की बोतल में 1–1 लीटर डीजल बतौर नमूना सैम्पल व कन्ट्रोल सैम्पल लिया जा कर बतौर वजह सबूत जब्त

जिला कलक्टर
जयपुर

कर शिल्ड कर नमून सैम्पल पर मार्क ए–1 व कन्ट्रोल सैम्पल पर मार्क ए–2 अंकित किया गया। शेष डीजल टैंक पर चिट चस्पा कर मार्का "ए" अंकित किया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा अपने कब्जे में करीबन 2500 लीटर डीजल बिना अवैद्य अनुज्ञापत्र के अपने कब्जे में रख कर परिवहन करना धारा 3 (2) (d) /7 (1) (a) (II) E C Act की नोयत में आना पाा गया है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया व वाहन मिनी टैंकर 407 नं॰ एचआर नं॰ 66 ए 6119 को थाना परिसर में खडा करवाया गया। जब्त शुदा पदार्थ को जमा मालखाना करवाया जाकर कायमी प्रकरण 638/2020 धारा उपरोक्त मे पंजिबद्व कर तफतीश श्री रतनाराम देवासी आरपीएस पुलिस थाना मनोहरपुर के जिम्मे की गई। अतः जब्त शुदा डीजल 2500 लीटर व वाहन मिनी टैंकर 407 नं॰ एचआर नं॰ 66 ए 6119 को धारा 6–ए आवश्क वस्तु अधिनियम के तहत राजसात (Confiscate) करने तथा डीजल उडनशील, ज्वलनशील, क्षयशील एवं जनहित के काम आने वाली वस्तु होने से धारा 6–ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार सहायक लोक अभियोजन के निवेदन पर जब्त डीजल उडनशील, ज्वलनशील, क्षयशील एवं जनहित की वस्तु होने से धारा 6–ए, (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश दिनांक 16.02.2021 को पारित किये जाकर थानाधिकारी पुलिस थाना प्रागपुरा एवं जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को निर्देशित किया गया कि जब्त डीजल का नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण करा कर पालना प्रतिवेदन भिजवावें। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री प्रकाश चन्द यादव अधिवक्ता ने उपस्थित होकर वकालतनामा व जबाब पेश किया।

3. बहस उभय पक्ष पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थीगण के पास केन्द्र सरकार पैट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश 1999 के तहत डीजल खरीद, बिक्री एंव भण्डारण हेतु आवश्यक अनुज्ञापन नही होने के बाद भी अवैद्य रूप से परिवहन किया गया जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/8 के अन्तर्गत अपराध है। अतः उक्त जब्त डीजल व वाहन को राजसात किये जाने के आदेश फरमावे।

5. विपक्षी अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि राज्य सरकार के नियमानुसार एवं पैट्रोलियम अधिनियम के तहत ढाई हजार लीटर तक डीजल बिना अनुमति के पहरविहन किया जा सकता है। अप्रार्थीगण ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी अपनी निजी आवश्यकता कृषि हेतु डीजल खरीद कर वैद्य रूप से डीजल का परिहन कर रहा था । डीजल की रसीदें पुलिस केश डायरी में पेश कर रखी है। तर्को के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर एस बी कमिनल मिस (पिट.) 1693/2016 आदेश दिनांक 06.09.2017, एस बी किमिनल रिविजन नं॰ 869/2016 दिनांक 24.10.2014, एस बी किमिनल रिविजन पीटिशन नं॰ 1060/2015 एवं एस बी किमिनल मिस पिटीशन नं॰ 1967/2014 दिनांक 01.09.2014 अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। अतः पुलिस थाना प्रागपुरा द्वारा आवश्यक वस्तु

जिला कलक्टर
जयपुर

अधिनियम की धारा 6–ए, के तहत प्रस्तुत परिवाद को खारिज फरमा कर प्रकरण मे जब्त वाहन व डीजल को प्रार्थी को सुपुर्द करने के आदेश फरमावें।

6. हमने उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना । पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 05.12.2020 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

7. प्रार्थी थानाधिकारी पुलिस थाना ने दिनांक 05.12.2020 को अप्रार्थीगण द्वारा 2500 लीटर डीजल अवैद्य रूप से परिवहन करते पकडा है। यह सही है कि केन्द्र सरकार पैट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण और प्रदाय का रख रखाव) आदेश 1999 के तहत एक समय में किसी एक ग्राहक को 2500 लीटर से अधिक पैट्रोल उत्पादों का विक्रय नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी ने जब्त डीजल मैसर्स हरि ओम फिलिंग स्टेशन धनौदा जिला महेन्द्रगढ हरियाणा से क्रय किये जाने की रसीदें पेश की है। अप्रार्थीगण ने डीजल को निजी कार्य में लेने का कथन किय है किन्तु कृषि भूमि के रिकार्ड की नकल पेश नही की गई है और न ही हेतु युक्तियुक्त कारण भी नहीं बताया है। अप्रार्थीगण द्वारा पिकअप के पीछे स्थाई टैंक बनवा कर डीजल का परिवहन किया जा रहा था। अप्रार्थीगण हरियाणा के निवासी है और डीजल हरियाणा से क्रय किया गया है तथा राजस्थान सीमा में पुलिस थाना प्रागपुरा द्वारा पकडा गया है। राजस्थान के मुकाबले हरियाणा में डीजल सस्ता मिलता है जिससे अप्रार्थीगण की अवैद्य मुनाफा की बदनीयति एवं आपराधिक मनः स्थिति सिद्व होती है और प्रकरण में मेन्सरिया भी पाया जाता है। इसलिए अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। अतः जब्त शुदा डीजल 2500 लीटर व वाहन मिनी टैंकर 407 नं॰ एचआर नं॰ 66 ए 6119 को राजसात किया जाना वाजिब समझते है। फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में अप्रार्थीगण के कब्जे से जब्त 2500 लीटर डीजल व उसको परिवहन किये जाने वाले वाहन मिनी टैंकर 407 नं॰ एचआर नं॰ 66 ए 6119 को राजसात (Confiscate) किये जाने के आदेश दिये जाते है।

8. थानाधिकारी पुलिस थाना प्रागपुरा को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण मे जब्त डीजल का अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश पूर्व में दिनांक 16.02.2021 को पारित किये जा चुके है। तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि को नियमानुसार राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करे।

9. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा थानाधिकारी पुलिस थाना प्रागपुरा एवं जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर दर्ज नम्बर से कम हो ।

10. निर्णय आज दिनांक 4.0.3.2021ो सरे इजलास सुनाया गया।

4/3/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर